



वाद अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विनिमय

डिक्री

दिनांक :- 23/02/26

वादी की ओर से श्री हीरालाल विरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.ए.स.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विनिमय किया जाता है:-

- क. चक 11 एमओडी के खाता सं. 2 के प.नं. 55/266, 55/267 की कुल 0.633 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 2 के समस्त 1/2 हिस्सा वादी को प्राप्त हुआ है।
चक 11 एमओडी के खाता सं. 57 के प.नं. 54/260, 54/266, 54/267, 55/266 की कुल 8.299 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 2 इन्द्रसेन के नाम वर्णित 1265/33196 हिस्सा समस्त वादी को प्राप्त हुआ है
चक 11 एमओडी के खाता सं. 12 के प.नं. 56/266, 56/267 की कुल 5.819 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 रणजीत कुमार के नाम वर्णित 1306/5819 हिस्सा मे से 1.180 हैक्. वादी को प्राप्त हुआ है
चक 11 एमओडी के खाता सं. 48 के प.नं. 55/263 की कुल 0.759 हैक्. वादी को प्राप्त हुआ है
- ख. चक 8 एमओडी के खाता सं. 42 के प.नं. 59/260, 59/261 की कुल 5.819 हैक्.मे से वादी के नाम वर्णित 1/3 हिस्सा समस्त प्रतिवादी सं. 1 रणजीत कुमार को प्राप्त हुआ है
- ग. चक 15 जेआरके के खाता सं. 43 के प.नं. 63/247, 63/248, 64/247, 64/248 की कुल 3.922 हैक्. मे से वादी के 1/3 हिस्सा मे से 0.633 हैक्. प्रतिवादी सं. 2 इन्द्रसेन को प्राप्त हुआ है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा / हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी /

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

